

अनुसूचित जाति के बच्चों हेतु पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति

1	योजना का नाम	<u>अनुसूचित जाति के बच्चों हेतु पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति</u>
2	संक्षिप्त परिचय	<ul style="list-style-type: none"> ● कक्षा 6 से 8 में अध्ययन करने वाले अनुसूचित जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाती है। <u>मद- आयोजना भिन्न व्यय</u>
3	प्रारंभ होने का वर्ष	1984 संशोधन- 2009 एवं संशोधन 2012
4	लाभान्वित वर्ग	अनुसूचित जाति वर्ग के छात्र
5	पात्रता	कक्षा 6 से 8 तक में अध्ययनरत होना एवं अभिभावक/संरक्षक आयकर दाता न हो।
6	देय सुविधा	बालको के लिए 75/- रु0 प्रतिमाह एवं बालिकाओं के लिए 125/- रु0 प्रतिमाह 10 माह हेतु
7	आवेदन का तरीका	संस्था में आवेदन करना
8	आवेदन कहां किया जावे	संस्था प्रधान को
9	आवेदन के साथ औपचारिकताएं	<ul style="list-style-type: none"> ● आय प्रमाण पत्र ● जाति प्रमाण पत्र ● शाला के प्रधानाध्यापक का प्रमाण पत्र
10	सम्पर्क सूत्र	संस्था प्रधान
11	कार्य न होने पर शिकायत/ प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हेतु सम्पर्क अधिकारी	संस्था प्रधान/बीईईओ/जिला शिक्षा अधिकारी (प्राशि)/ उपनिदेशक (प्राशि)/निदेशक,प्रारंभिक शिक्षा (शिकायत जिस स्तर पर पेण्डीग हो उससे उच्चतर अधिकारी)